न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 180/2019

1. मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, शाखा जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी वीरेन्द्र सिंह राठौड़।
प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुरेश मीना पुत्र श्री तोफल्या मीना
   (अ) तोफाया राम, दस्ती की पाड., राणौली, तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0) 303501
   (ब) उचित मूल्य दुकान, राणौली, ग्राम पंचायत राणौली, 1/2 भाब गढ., राणौली, तह0 सिकराय जिला दौसा (राज0) 303501
   (स) पट्टा नं0 09, मिसल नं0 30, राणौली ग्राम पंचायत राणौली, तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0) 303501
2. श्रीमति छोटी देवी पत्नि श्री सुरेश चन्द मीना
   (अ) पट्टा नं0 09, मिसल नं0 30, राणौली ग्राम पंचायत राणौली, तह0 सिकराय जिला दौसा (राज0) 303501
   (ब) 127, झाड. की ढाणी, राणौली, ग्राम पंचायत राणौली तह0 सिकराय जिला दौसा (राज0) 303501
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री नरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांकः 01.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री सुरेश मीना पुत्र श्री तोफल्या मीना व अन्य को 1576218/—(रूपये पन्द्रह लाख छत्तर हजार दो सौ अठारह) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में अंकितानुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति श्रीमति छोटी देवी पत्नि श्री सुरेश चन्द मीना की पट्टा नं0 09, मिसल नं0 30, दायर दिनांक 20.5.2012 राणौली ग्राम पंचायत राणौली, तह0 सिकराय जिला दौसा (राज0) स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 840 वर्गफिट) जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official